तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स **अपील /एलआर/5827/2002/पाली** **रा0उ0पा0वि0 व अन्य बनाम भंवरू व अन्य** **अपील/एलआर/6762/2002/पाली** **सरकार बनाम भंवरू व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एकल–पीठ
डॉ0 महेन्द्र लोढ़ा, सदस्य

उपस्थितः–
श्री अशोक अग्रवाल, (अपील संख्या 2002/5827) में अधिवक्ता अपीलाण्ट की ओर से।
श्री शान्ति प्रकाश ओझा, (अपील संख्या 2002/6762) में अधिवक्ता (राजकीय अधिवक्ता) अपीलाण्ट की ओर से।
श्री एस0पी0 सिंह, (अपील संख्या 2002/5827 व अपील संख्या 2002/6762) में अधिवक्ता रेस्पो0 की ओर से।

निर्णय

दिनांकः–05.02.2026

1– उक्त उनवानी दोनों अपीलें न्यायालय राजस्व अपील पाली द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16–09–2002 जो कि अपील संख्या 36/2002 में पारित किया गया के विरूद्ध मण्डल के समक्ष धारा 76 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत प्रस्तुत की गयी है।

2– दोनों अपीलों के तथ्य, परिस्थितियां, विषय वस्तु व पक्षकारान समान होने के कारण दोनों हस्तगत अपीलों का निस्तारण इस एकल निर्णय से किया जा रहा है। निर्णय की प्रति दोनों पत्रावलियों में पृथक–पृथक संलग्न की जावे।

3– विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस अपीलों पर सुनी गयी।

4– सर्वप्रथम विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट (अपील संख्या 2002/5827) ने अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए अभिकथन किया कि अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय न्याय, नियम व रिकार्ड पर उपलब्ध तथ्यों के विपरीत जाकर पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय क्षेत्राधिकार विहीन होने से निरस्त किये जाने योग्य है। वास्तविक आवंटन दिनांक 19–04–2002 के विरूद्ध एक अपील संख्या 17/2002 पूर्व में ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णित की जा चुकी थी जिसमें आवंटन दिनांक 19–04–2002 को बहाल रखा गया था। उक्त निर्णय अंतिम निर्णय रहा जिसकी अपील पेश नहीं की गयी है। अधीनस्थ न्यायालय को उक्त आवंटन आदेश दिनांक 19–04–2002 के विरूद्ध पुनः प्रस्तुत द्वितीय अपील को निर्णित करने का विधिक अधिकार प्राप्त नहीं था। दोनों निर्णय यथा निर्णय दिनांक 16–08–2002 व निर्णय दिनांक 16–09–2002 एक ही आवंटन आदेश के विरूद्ध पारित किये गये हैं एवं आपस में विरोधाभासी हैं। पश्चात्वर्ती आदेश दिनांक 16–09–2002 विधिक नीति के विरूद्ध पारित किया गया है।

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स **अपील /एलआर/5827/2002/पाली** **रा0उ0पा0वि0 व अन्य बनाम भंवरू व अन्य** **अपील/एलआर/6762/2002/पाली** **सरकार बनाम भंवरू व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस तथ्य की ओर ध्यान नहीं दिया गया कि स्कूल को आवंटित भूमि राजस्व रिकार्ड में सिवायचक दर्ज है एवं विधिक प्रावधानों के अनुसार उक्त भूमि वैकेन्ट भूमि थी जो आवंटन योग्य थी भले ही उसपर रेस्पो0 द्वारा अतिक्रमण किया गया था। रेस्पो0 द्वारा न तो उक्त भूमि के आवंटन व न ही नियमन हेतु आवेदन किया गया था तथा उनके पास पूर्व में किये गये आवंटन को चैलेन्ज करने का कोई लोकस स्टेण्डाई नहीं था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया गया कि दिनांक 19–04–2002 का आवंटन आदेश निर्णय दिनांक 16–08–2002 में विलीन हो चुका था एवं अपील में इसे चुनौती नहीं दी जा सकती थी। अतः अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार फरमायी जावे व अधीनस्थ न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी पाली द्वारा पारित आदेश दिनांक 16–09–2002 निरस्त फरमाया जावे। 5– इसके पश्चात् विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने दौराने बहस अपील संख्या 2002/6762 के अपील ज्ञापन में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए अभिकथन किया कि रेस्पो0 महज एक अतिक्रमी थे एवं अतिक्रमी के कब्जे की भूमि अन ऑक्यूपाईड मानी जावेगी जो कि आवंटन योग्य होती है। जिसे जिला कलक्टर पाली ने सही आवंटित किया है किन्तु न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी ने गैरकानूनी रूप से अतिक्रमी को लाभ पहुंचाने की गरज से अपील को आंशिक रूप से स्वीकार करने में भारी भूल की है। अपीलाण्ट को आवंटित भूमि का मौके पर कब्जा दिया गया था तथा उस पर विद्यालय क्रमोन्नत होकर प्राथमिक से उच्च प्राथमिक विद्यालय कार्य कर रहा है और उसमें दो कमरों का निर्माण किया जाना था। इस कारण व इस हेतु आवंटन की आवश्यकता बतायी गयी, सरपंच ग्राम पंचायत, सुमेल के द्वारा भी प्रस्ताव पास कर ग्राम रावणियां के खसरा नम्बर 910 रकबा 2 बीघा 9 बिस्वा किस्म बारानी ाा का आवंटन करने का निवेदन किया गया था। इस पर जिला कलक्टर, पाली ने अपने आदेश के द्वारा पूर्व में आवंटित 15 बिस्वा भूमि को छोडकर शेष 1 बीघा 14 बिस्वा का आवंटन कर दिया। जिसे अकारण ही 3 बिस्वा कम करने में राजस्व अपील अधिकारी ने त्रुटि कारित की है। रेस्पो0 का भूमि मुतनाजा पर कभी भी कोई कब्जा नहीं रहा है उनका यह कहना कि वादग्रस्त आराजी पर 20–25 सालों से मकान व दुकाने बना रखी हैं, बिना साक्ष्य व सबूतों के उनकी बात मानकर अधीनस्थ न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी ने निर्णय प्रदान करने में भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय ने अतिक्रमी को 3 बिस्वा भूमि बाबत् जो आदेश दिया है वह कतई गलत है, क्योंकि इस हेतु अतिक्रमी ने ना तो नियमन हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया है ना ही चाराजोही की है केवल अपील के माध्यम से उनको नियमन का आदेश दिया है। तहसीलदार रायपुर द्वारा एस0डी0ओ0 जैतारण को भेजे गये प्रतिवेदन में यह स्पष्ट उल्लेख किया गया था कि खसरा नम्बर 910 की 1 बीघा 14 भूमि भारहीत व बिना किसी कब्जे के व बिना किसी अतिक्रमण के उपलब्ध है। तहसीलदार रायपुर के	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स **अपील /एलआर/5827/2002/पाली** **रा0उ0पा0वि0 व अन्य बनाम भंवरू व अन्य** **अपील/एलआर/6762/2002/पाली** **सरकार बनाम भंवरू व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	उक्त प्रतिवेदन को नजरअंदाज कर रेस्पो0 के कथन को सही मानते हुए उनकी अपील को स्वीकार करने में भारी त्रुटि कारित की गयी है। रेस्पो0 को अपना केस सिद्ध करना है तो उसे सक्षम न्यायालय में अलग से चाराजोही करनी चाहिए थी, क्योंकि उसे अपील करने का कोई अधिकार नहीं है ना ही वे पीडित पक्षकार हैं। अतः अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी पाली द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16–09–2002 करे अपास्त किया जाकर जिला कलक्टर पाली द्वारा पारित आदेश दिनांक 19–04–2002 बहाल रखा जावे। 6– इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता रेस्पो0 ने दौराने बहस अभिकथन किया कि प्रश्नगत आराजी का आवंटन बिना आवंटित भूमि का भौतिक निरीक्षण किये एवं स्थल की स्थिति की पूरी जानकारी प्राप्त किये आनन फानन में आवंटन किये जाने के आदेश पारित किये गये हैं। तहसीलदार रायपुरा का उपखण्ड अधिकारी जैतारण को भेजा प्रतिवेदन पृष्ट–2 एवं उपखण्ड अधिकारी जैतारण द्वारा प्रेषित पत्र के अनुसार खसरा नम्बर 910 की रकबा 1 बीघा 14 बिस्वा भूमि विद्यालय भवन हेतु आवंटित करने की अनुशंषा की गयी परंतु इनके द्वारा अपने पत्र में कहीं भी यह अंकित नहीं किया कि आवंटन हेतु प्रस्तावित एवं अभिशंषित भूमि भार रहित एवं बिना कब्जे के व बिना अंतिक्रमण के उपलब्ध है। उक्त आवंटन मात्र सरपंत्र की अनुशंषा दिनांक 05–12–2001 के आधार पर किया गया है, जबकि ग्राम पंचायत सुमेल ने इससे एक दिन पूर्व अर्थात दिनांक 04–12–2001 को प्रश्नगत आराजी की 03 बिस्वा भूमि पर रेस्पो0 का 30–35 वर्ष से पुराना कब्जा होने के आधार पर उसे नियमन करने हेतु अभिशंषा कर दी गयी थी जिसकी जानकारी पटवारी एवं तहसीलदार रायपुर को दिनांक 04–03–2002 को हो गयी थी। प्रश्नगत आराजी में रेस्पो0 के मकान एवं दुकान आदि बने हुए हैं। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी पाली ने विधिसम्मत रूप से अपील अपीलाण्ट आंशिक रूप से स्वीकार कर प्रकरण को परीक्षण न्यायालय के समक्ष प्रतिप्रेषित किया है जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि कारित नहीं की गयी है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज फरमायी जाकर अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी पाली द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16–09–2002 बहाल रखा जावे। 7– विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पत्रावलियों पर सुनी गयी एवं पत्रावलियों का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत प्रकरण में जिला कलक्टर पाली द्वारा अपने आदेश दिनांक 19–04–2002 के द्वारा ग्राम रावडिया के खसरा नम्बर 910 में से 1 बीघा 14 बिस्वा भूमि राजस्थान भू राजस्व (स्कूलों, कॉलेजो, चिकित्सालयों, धर्मशालाओं तथा सार्वजनिक प्रयोजनार्थ अन्य भवन निमार्णाथ अनाधिवासित राजकीय कृषि भूमि का आवंटन) नियम 1963 के तहत राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स **अपील /एलआर/5827/2002/पाली** **रा0उ0पा0वि0 व अन्य बनाम भंवरू व अन्य** **अपील/एलआर/6762/2002/पाली** **सरकार बनाम भंवरू व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	नया बाडिया (रावडिया) के भवन हेतु निःशुल्क आवंटन किये जाने के आदेश पारित किये। जिला कलक्टर पाली द्वारा पारित आदेश दिनांक 19–04–2002 से व्यथित होकर रेस्पोडेण्टगण ने अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी पाली के समक्ष प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 75 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत पेश की। न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली ने अपने निर्णय दिनांक 16–09–2002 के द्वारा रेस्पोण्डेटगण द्वारा प्रस्तुत अपील को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए जिला कलक्टर द्वारा पारित आवंटन आदेश में से रकबा 1 बीघा 11 बिस्वा भूमि के आवंटन को यथावत रखते हुए 3 बिस्वा भूमि के सम्बंध में वर्तमान रेस्पो0 द्वारा परीक्षण न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने पर 03 माह की अवधि में विधिसम्मत निर्णय पारित करने हेतु परीक्षण न्यायालय को निर्देशित किया। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16–09–2002 से व्यथित होकर दोनों अपीलों में अपीलाण्टगण ने पृथक–पृथक अपीलें यथा अपील संख्या 2002/5827 व अपील संख्या 2002/6762 मण्डल के समक्ष पेश की है। रेस्पोडेण्टगण ने जिला कलक्टर पाली द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी पाली के समक्ष कब्जे के आधार पर अपील पेश की तथा प्रश्नगत आराजी पर अपना कब्जा/दुकान आदि होना कथन करते हुए आवंटन आदेश दिनांक 19–04–2002 को निरस्त किये जाने का कथन किया है। प्रश्नगत आराजी राजकीय भूमि है जो सार्वजनिक प्रयोजनार्थ स्कूल भवन हेतु आवंटन की गयी है। रेस्पो0 का प्रश्नगत आराजी से किसी प्रकार का कोई सम्बंध नहीं है। तर्क के लिए यदि मान भी लिया जावे कि प्रश्नगत आराजी में से कुछ भूमि पर रेस्पो0 का कब्जा है तो वह एक अतिक्रमी की हैसीयत से है। अतिक्रमी को किसी प्रकार के कोई स्वत्व अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते हैं। इसके अलावा यहां यह भी उल्लेखनीय है कि जिला कलक्टर पाली द्वारा पारित आवंटन आदेश दिनांक 19–04–2002 से व्यथित होकर पूर्व में अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी पाली के समक्ष अपील संख्या 17/2002 पेश की गयी थी जिसे अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी पाली ने अपने निर्णय दिनांक 16–08–2002 के द्वारा अपील को खारिज करते हुए जिला कलक्टर पाली द्वारा पारित आवंटन आदेश दिनांक 19–04–2002 को बहाल रखने का आदेश पारित किया है। इस प्रकार प्रस्तुत प्रकरण में पूर्व में भी अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी पाली द्वारा अपील अपीलाण्ट खारिज की जा चुकी थी बावजूद उसके पुनः नयी अपील संख्या 36/2002 पेश की गयी थी। इस प्रकार अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 16–09–2002 त्रुटिपूर्ण पारित किया गया है जो निरस्तनीय है। यहां यह भी उल्लेख किया जाना उचित प्रतीत होता है कि प्रश्नगत आराजी राजकीय भूमि है जिसपर किसी व्यक्ति द्वारा अतिक्रमण कर लिये जाने से अतिक्रमी व्यक्ति को किसी प्रकार के स्वत्व अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। इसके अलावा ऐसी भूमि को आवंटन योग्य भूमि माना जाता है।	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स **अपील /एलआर/5827/2002/पाली** **रा0उ0पा0वि0 व अन्य बनाम भंवरू व अन्य** **अपील/एलआर/6762/2002/पाली** **सरकार बनाम भंवरू व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	उपर्युक्त विवेचन/विश्लेषण के आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि मण्डल के समक्ष प्रस्तुत दोनों अपील अपीलाण्ट स्वीकार योग्य प्रतीत होती हैं एवं अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी पाली द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16–09–2002 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाने योग्य प्रतीत होता है। 8– परिणामतः अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत दोनों अपीलें स्वीकार की जाकर अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी पाली द्वारा अपील संख्या 36/2002 में पारित आदेश दिनांक 16–09–2002 निरस्त किया जाता है व जिला कलक्टर पाली द्वारा पारित आवंटन आदेश दिनांक 19–04–2002 बहाल रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावे। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड लौटाया जावे। आदेश खुले न्यायालय सुनाया गया। (डॉ0 महेन्द्र लोढ़ा) सदस्य	